High court (उच्च न्यायालय)

सर्वप्रथम यहाँ भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली बात तो यह है कि U.S.A के विपरीत भारत की न्यायिक संरचना इकहरी है। इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। जिसके अधीन उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अधीन बहुत से निम्न न्यायालय हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ संविधान की धारा 214 के अनुसार हर राज्य के एक उच्च न्यायालय है पर जैसा कि हम Article 230 और 231 में देखते हैं एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्य या संघ क्षेत्र हो सकते हैं। उदाहरणार्थ - कलकत्ता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के साथ-साथ अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह भी है। गौहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अभी 7 उत्तर-पूर्वी राज्य हैं।

संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में High court संबंधी प्रावधान है। धारा 216 के अनुसार एक उच्च न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और उतनी संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं जितनी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करता है। बिहार विभाजन (2000) के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 39 से घटकर 31 हो गयी है। झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 13 है।

धारा 217 के अनुसार प्रधान न्यायाधीश President के द्वारा नियुक्त होता है। इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति भारत के प्रधान न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में वह भारत के प्रधान न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ ही हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। इसी धारा में न्यायाधीश पद के लिए योग्यताओं का भी उल्लेख है। न्यायाधीश पद के उम्मीदवार को - (1) भारत का नागरिक होना चाहिए। (2) उसे भारत के अन्दर किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्षों तक काम किया होना चाहिए या किसी एक High court में या अधिक में लगातार दस वर्षों तक Advocate रहा होना चाहिए।

धारा 219 के अनुसार न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। जिसका प्रारूप तृतीय अनुसूची में दिया हुआ है। धारा 218 के अनुसार एक न्यायाधीश को उसी तरीके से पदच्युत किया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। 15वें संविधान संशोधन (1963) के फलस्वरूप एक न्यायाधीश 62 वर्षों

Scanned with CamScanner

तक पद रह सकता है। धारा 220 के अनुसार सेवा-निवृत्त न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। धारा 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से दूसरे उच्च न्यायालय में बदल सकता है। धारा 223 के अनुसार प्रधान न्यायाधीश की अनुपस्थिति में एक कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा भारत प्रधान न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त किया जा सकता है। धारा 224 के अनुसार राष्ट्रपति किसी हाईकोर्ट की कार्य वृद्धि की स्थिति में दो वर्षों तक के लिए अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी सेवा धारा 224 A के अनुसार ली जा सकती है।

धारा 221 के अनुसार द्वितीय अनुसूची में अंकित वेतन न्यायाधीशों को मिलते हैं। शुरू में प्रधान न्यायाधीश को 4000 रु प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह वेतन 3500 रु० मिलते थे। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को 30000 रु० और अन्य न्यायाधीशों को 26000 रु० मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। March 1976 में बने एक कानून के अनुसार High Court के न्यायाधीश को पहली बार परिवार पेंशन और ग्रेच्युटी का मिलना तय हुआ। ये सुविधाएँ 1st October 1974 से लागू की गयी। High Court के सभी व्यय राज्य की संचित निधि पर ~~आधारित~~ भारित होते हैं। (व्यय)

उच्च न्यायालय के कार्य और अधिकार

हमारे संविधान की धारा 225 के अनुसार उच्च न्यायालयों को संविधान लागू होने के पूर्व के प्रांतीय उच्च न्यायालयों के लगभग सभी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संविधान ने कुछ अन्य क्षेत्राधिकार प्रदान कराये हैं। संसद भी क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है, उसने की भी है। High Court के अधिकारों एवं कार्यों को निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है—

(1) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) – मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, वसीयत, नौकाधिकरण, कंपनी कानून, न्यायालय अवमान, विवाह कानून, तलाक, निर्वाचन आदि विषयों के संबंधों में उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। बंबई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी मामलों में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त रहा है। जिन दीवानी मामलों में 8000 Rs से अधिक की धनराशि अन्तर्गत हो और जिन फौजदारी मामले की प्रारंभिक सुनवाई सत्र न्यायालय में हो चुकी

है इस संबंध में High court को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पर इसका Cr. P. C. (Amendment) Act, 1973 के द्वारा उच्च न्यायालय के प्रारंभिक फौजदारी अधिकार क्षेत्र को पूर्णतः ले लिया गया है।

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) - कई मामलों में निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी मामले में किसी निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है, जब मामले में कानून या तथ्य का कोई गंभीर प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो। अपील पहली हो सकती है या दूसरी।

निम्न स्थितियों में फौजदारी मामलों के संबंध में High court में अपील हो सकती है। - (A) High court के प्रारंभिक फौजदारी अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लिया गया निर्णय। (B) किसी सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया निर्णय जिसमें सात वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो। (C) किसी उप सत्र न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय जिसमें सजा 4 सालों से अधिक के लिए हो। (D) I. P. C. की धारा 154 A के अन्तर्गत D.M. द्वारा लिया गया निर्णय।

पेटेन्ट और डिजाइन अधिकार, विवाह विच्छेद संरक्षण, जमीन प्राप्ति, दिवाला आदि मामलों में भी High court में अपील की जा सकती है। आय कर और बिक्री कर संबंधी न्यायाधिकरणों के विरुद्ध भी High court में अपील की जा सकती है।

(3) लेख (writ) जारी करने का अधिकार —

संविधान की धारा 226 के अनुसार उच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों को लागू करने या अन्य उद्देश्यों से लेख जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus), परमादेश (Mandamus), निषेधाज्ञा (Prohibition), उत्प्रेषण (certiorari), अधिकार पृच्छा (quo warranto) आदि लेख वह जारी कर सकता है। 42वें संशोधन ने इस शक्ति को सीमित कर दिया था पर 43वें संशोधन ने सीमा हटा दी।

(4) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial review) - उच्च न्यायालय किसी केन्द्रीय या राज्य कानून या प्रशासकीय आदेश की संवैधानिकता का परीक्षण कर सकता है। संविधान का उल्लंघन करता हुआ पाया गया कोई भी कानून या आदेश उसके द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। 42वें संशोधन ने

Scanned with CamScanner

यह अधिकार इसकी मर्यादित कर दिया था पर पुनः संशोधन से पुरानी स्थिति वापस ला दी है।

(5) <u>संविधान की धारा 228 के अनुसार</u> — यदि किसी निम्न न्यायालय के समक्ष पड़े मामले में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न निहित हो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने समक्ष मंगा सकता है। तब वह या तो प्रश्न विशेष को तय कर मामले को निर्णय के लिए वापस निम्न न्यायालय को भेज सकता है या सारा मामला स्वयं तय कर सकता है।

(6) <u>प्रशासकीय शक्तियाँ</u> — उच्च न्यायालय धारा 227 के अनुसार राज्य के अंदर सभी निम्न न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति रखता है। एक निम्न न्यायालय से दूसरे निम्न न्यायालय में कोई मुकदमा स्थानांतरित कर सकता है। वह निम्न न्यायालयों की कार्यवाहियों आदि के संबंध में भी नियम बनाता है।

निम्न न्यायालयों के वकीलों (शेरिफ) आदि तथा अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों की फीस, वेतन, छुट्टी आदि के संबंध में भी वह नियम बनाता है। धारा 229 के अनुसार उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देता है। (धारा 233)

(7) <u>अभिलेख न्यायालय (Court of record)</u> — उच्च न्यायालय संविधान की धारा 215 के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है। इसलिए इसके निर्णय राज्य क्षेत्र में अन्तर्गत सभी न्यायालयों में प्रमाणिक माने जाते हैं। अपने अवमान (contempt) की स्थिति में इसको अवमान कर्ता को दंड देने का भी अधिकार है।

इस तरह उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः न्यायालयों का कार्यकरण बहुत प्रशंसनीय है। उच्च न्यायालय संविधान और जन स्वतंत्रता तथा अधिकारों का संरक्षक व्यवहारतः भी सिद्ध है। इनकी निष्पक्षता, ईमानदारी, स्वतंत्रता और निडरता के एक ऐतिहासिक समूह के रूप में एक उच्च न्यायालय - इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 12 March, 1975 का वह निर्णय पेश किया जा सकता है जो भारत के प्रधान मंत्री श्री मती गाँधी जैसी हस्ती के विरुद्ध था।

Scanned with CamScanner